अनुसूचित जाति के उद्यमियों को वित्तीय सहायता हेतु ''अनुसूचित जातियों के लिए उद्यम पूंजी निधि' की योजना हेतु मार्ग-निर्देशों में संशोधन

अनुसूचित जाति के उद्यमियों को वित्तीय सहायता हेतु ''अनुसूचित जातियों के लिए उद्यम पूंजी निधि' की योजना हेतु मार्ग-निर्देशों में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं :-

क्रम सं.	संकेतक	वर्तमान	संशोधित
1.	**पात्रता मानदंड**	विनिर्माण के क्षेत्र में स्थापित की जा रही परियोजनाओं/यूनिटों में लगाई गई निधि में से परिसंपत्ति सृजन को सुनिश्चित करने वाले सेवा सेक्टर पर विचार किया जाएगा।	विनिर्माण, सेवा और संबद्ध क्षेत्रों में स्थापित की जा रही परियोजनाओं/यूनिटों, जिनमें प्रौद्योगिकी बिजनेस इंक्यूबेटर में स्टार्ट-अप और इंक्यूबेट होने वाली यूनिटें शामिल हैं, में लगाई गई निधियों से परिसंपत्ति सृजन सुनिश्चित होगा, पर विचार किया जाएगा।
	पात्रता मानदंड	**यदि 50 लाख रुपए से कम सहायता हेतु आवेदन करने वाली कंपनियों के लिए :** ऐसी कंपनियां जिनमें अनुसूचित जाति के उद्यमियों द्वारा विगत 6 महीनों से प्रबंधन नियंत्रण सहित कम से कम 51% हिस्सेदारी रखी जाती है या बशर्ते कि नई कंपनी एक मालिकाना फर्म या भागीदारी फर्म या एक व्यक्ति कंपनी (ओपीसी) या सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) या लागू किसी अन्य कानून के तहत निगमित प्रतिस्ठान, जो स्वस्थ व्यवसाय मॉडल हो और विगत 6 महीने से अधिक समय से चल रहा हो, और पूर्ववर्ती इकाई के पास प्रबंधन नियंत्रण के साथ अनुसूचित जातियों के उद्यमियों की कम से कम 51% हिस्सेदारी थी।	**50 लाख रुपए तक की सहायता हेतु आवेदन करने वाली कंपनियों के लिए :** कंपनियां जिनमें : क. ऐसी कंपनियां जिनमें अनुसूचित जाति के उद्यमियों द्वारा विगत 6 महीनों से प्रबंधन नियंत्रण सहित कम से कम 51% हिस्सेदारी रखी जाती है अथवा; ख. बशर्ते कि नई कंपनी एक मालिकाना फर्म या भागीदारी फर्म या एक व्यक्ति कंपनी (ओपीसी) या सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) या लागू किसी अन्य कानून के तहत निगमित प्रतिष्ठान, जो स्वस्थ व्यवसाय मॉडल हो और विगत 6 महीने से अधिक समय से चल रहा हो, और पूर्ववर्ती इकाई के पास प्रबंधन नियंत्रण के साथ अनुसूचित जातियों के उद्यमियों की कम से कम 51% हिस्सेदारी थी।
	पात्रता मानदंड	**यदि 50 लाख रुपए से कम सहायता हेतु आवेदन करने वाली कंपनियों के लिए :** ऐसी कंपनियां जिनमें अनुसूचित जाति के उद्यमियों द्वारा विगत 12 महीनों से प्रबंधन नियंत्रण सहित कम से कम 51% हिस्सेदारी रखी जाती	**50 लाख रुपए से अधिक की सहायता हेतु आवेदन करने वाली कंपनियों के लिए :** कंपनियां जिनमें: क. ऐसी कंपनियां जिनमें अनुसूचित जाति के उद्यमियों द्वारा विगत 12 महीनों से प्रबंधन नियंत्रण सहित कम से कम 51% हिस्सेदारी रखी जाती है

		है या बशर्ते कि नई कंपनी एक मालिकाना फर्म या भागीदारी फर्म या एक व्यक्ति कंपनी (ओपीसी) या सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) या लागू किसी अन्य कानून के तहत निगमित प्रतिष्ठान, जो स्वस्थ व्यवसाय मॉडल हो और विगत 12 महीने से अधिक समय से चल रहा हो, और पूर्ववर्ती इकाई के पास प्रबंधन नियंत्रण के साथ अनुसूचित जातियों के उद्यमियों की कम से कम 51% हिस्सेदारी थी।	अथवा; ख. बशर्ते कि नई कंपनी एक मालिकाना फर्म या भागीदारी फर्म या एक व्यक्ति कंपनी (ओपीसी) या सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) या लागू किसी अन्य कानून के तहत निगमित प्रतिष्ठान, जो स्वस्थ व्यवसाय मॉडल हो और विगत 12 महीने से अधिक समय से चल रहा हो, और पूर्ववर्ती इकाई के पास प्रबंधन नियंत्रण के साथ अनुसूचित जातियों के उद्यमियों की कम से कम 51% हिस्सेदारी थी।
	पात्रता मानदंड		**प्रौद्योगिकी उन्मुखी नवाचारी परियोजनाओं के लिए :** **क.** संचालन और अनुरक्षण की लागत कवर करने के लिए इन्क्यूबेशन फंडिंग हेतु प्रौद्योगिकी बिजनेस इन्क्यूबेटर (टीबीआई) द्वारा चयनित नवाचारी विचार बशर्ते तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रति वर्ष औसत 10 लाख रुपए की उच्चतम सीमा सहित संतोषजनक प्रगति। **ख.** नई कंपनियां जिनमें कम से कम 51% हिस्सेदारी ऐसे पहली बार के अनुसूचित जाति उद्यमियों की हो जो प्रौद्योगिकी उन्मुखी नवाचारी परियोजनाओं में कार्य कर रहे हैं :- i. आईआईटी, एनआईटी, विख्यात बिजनेस स्कूलों, विश्वविद्यालयों, संस्थाओं, मेडिकल कालेजों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के अधीन एनएसटीईडीबी के इन्क्यूबेशन केन्द्रों को सहायता में अथवा कारपोरेट के सहयोग से, वाणिज्यीकरण की अच्छी संभावना के साथ और परियोजना कार्यान्वयन चरण में हो; और/अथवा;

			ii. बिना इन्क्यूबेटर केन्द्रों की सहायता के परन्तु वाणिज्यीकरण की अच्छी संभावना के साथ पेटेंट/कापीराइट के साथ और परियोजना कार्यान्वयन चरण में हो। iii. उचित मूल्यांकन के पश्चात् भारत सरकार के विभागों द्वारा संस्वीकृत परियोजनाएं।
	पात्रता मानदंड	प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के समय उद्यमियों द्वारा अनुसूचित जाति के होने के दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत किए जाएंगे।	• प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के समय उद्यमियों द्वारा अनुसूचित जाति के होने के दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत किए जाएंगे। • प्रस्तावों को प्रस्तुत करते समय इन्क्यूबेशन केन्द्रों/कारपोरेट से दस्तावेजी प्रमाण/प्रमाण-पत्र अथवा एससी उद्यमी के नाम से पेटेंट/कापीराइट के संदर्भ में दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। • भारत सरकार के विभाग का संस्वीकृत पत्र। • ई-दस्तावेज भी स्वीकार किए जाएंगे।
	पात्रता मानदंड	5 करोड़ रूपए से अधिक की संस्वीकृत सहायता वाली कंपनियों के लिए ट्रस्ट/निधि प्रबंधन द्वारा जारी राशि बैंक द्वारा निर्मुक्त के ऋण अनुपात में होगी।	ऊपर बिन्दु 'क' में उल्लिखित के अनुसार, प्रौद्योगिकी बिजनेस इन्क्यूबेटर (टीबीआई) द्वारा चयनित नवाचारी विचार वर्ग के अंतर्गत समर्थित कंपनियों के मामलों के अंतिरिक्त 5 करोड़ रूपए से अधिक की संस्वीकृत सहायता वाली कंपनियों के लिए बैंक/भारत सरकार के विभाग द्वारा ट्रस्ट/निधि प्रबंधन द्वारा जारी राशि बैंक द्वारा निर्मुक्त के ऋण अनुपात में होगी।
2.	**निवेश का आकार**	20 लाख रुपए से 15 करोड़ रुपए तक। कुल सहायता कंपनी की वर्तमान निवल संपत्ति का दोगुने से अधिक नहीं होनी चाहिए।	10 लाख रुपए से 15 करोड़ रुपए तक। कुल सहायता कंपनी की वर्तमान निवल संपत्ति के दुगुने से अधिक नहीं होनी चाहिए।
3.	**वित्तीय सहायता की अवधि**	अधिस्थगन अवधि सहित 8 वर्ष तक	डिबेंचर के मामले में अधिस्थगन अवधि सहित 10 वर्ष तक। इक्विटी के मामले में, मामला-दर-आधार पर और अधिक 10 वर्षों की

			अवधि तक एग्जिट का निर्णय लिया जाएगा।
4.	**मूलधन के संबंध में** अधि**स्थगन अवधि**	मामला दर मामला आधार पर, निवेश की तिथि से अधिकतम 36 महीने की अवधि तक। निवेश समिति द्वारा निर्धारित नियमित अंतराल पर कम्पनी में निवेश की तिथि से ब्याज भुगतान आरंभ होगा।	डिबेंचर के मामले में, मामला दर मामला आधार पर, निवेश की तिथि से अधिकतम 36 महीने की अवधि तक। निवेश समिति द्वारा निर्धारित नियमित अंतराल पर कम्पनी में निवेश की तिथि से ब्याज का भुगतान आरंभ होगा।
5.	**वित्तीय सहायता का स्वरूप**	➢ ईक्विटी/वैकल्पिक रूप से/अनिवार्य रूप से परिवर्त्य अधिमान शेयर (समग्र का अधिकतम 25 प्रतिशत तक); ➢ निम्नलिखित जैसे ईक्विटी संबद्ध ऋण लिखत; • अनिवार्य रूप से परिवर्त्य डिबेंचर; • वैकल्पिक रूप से परिवर्त्य डिबेंचर; • गैर-परिवर्त्य डिबेंचर, इत्यादि, ➢ ऋण/गौण ऋण;	**क.** शेयर्स (सीसीपीएस) (समग्र का अधिकतम 25% तक) का निम्नानुसार निवेश किया जा सकता है :- i. ऐसा निवेश पात्रता मानदंड के अंतर्गत उल्लिखित शर्तों को पूरा करते हुए नवाचारी प्रौद्योगिकी उन्मुखी परियोजनाओं /स्टार्ट-अप तक सीमित रह सकता है; ii. एक कंपनी में अधिकतम इक्विटी निवेश 49% हो सकता है बशर्ते अधिकतम 5 करोड़ रुपए के निवेश तक; iii. ऐसा निवेश प्रत्येक कंपनी में लागू कानूनों के अनुसार शेयर के फेस वैल्यू पर होगा; iv. निधि के अंतर्गत प्रत्येक निवेश में न्यूनतम 25% निवेश डिबेंचर के रूप में होगा। **ख.** अनिवार्य रूप से परिवर्त्य डिबेंचर (सीसीडी), वैकल्पिक रूप से परिवर्त्य डिबेंचर (ओसीडी), गैर-परिवर्त्य डिबेंचर (एनसीडी) जो कंपनियां ऊपर 'क' श्रेणी में नहीं आ रही हैं, ये लिखत उन सबके लिए मान्य होंगे।
6.	**वित्तपोषण पद्धति**	निधि के अंतर्गत निवेश का श्रेणीकरण निम्नलिखित रूप से किया जाएगा: **1. 5.00 करोड़ रुपए तक वित्तीय सहायता** – इस श्रेणी के अंतर्गत निवेश	निधि के अंतर्गत निवेश का श्रेणीकरण निम्नलिखित रूप से किया जाएगा: **1. 5.00 करोड़ रुपए तक वित्तीय सहायता** – इस श्रेणी के अंतर्गत निवेश संबंधी वित्त पोषण, परियोजना लागत का अधिकतम

		संबंधी वित्त पोषण, परियोजना लागत का अधिकतम 75% तक किया जाएगा और शेष 25% परियोजना लागत का वित्त पोषण संस्थापकों द्वारा किया जाएगा; 2. **5.00 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता –** इस श्रेणी के अंतर्गत निवेश संबंधी वित्तपोषण, परियोजना लागत का अधिकतम 50% तक किया जाएगा। परियोजना लागत का कम-से-कम 25% वित्त पोषण संस्थापकों द्वारा किया जाएगा और परियोजना लागत का शेष 25% वित्त पोषण या तो बैंक या अन्य किसी वित्तीय संस्थान अथवा संस्थापकों द्वारा किया जाएगा।	75% तक किया जाएगा और शेष 25% परियोजना लागत का वित्त पोषण संस्थापकों द्वारा किया जाएगा; 2. **5.00 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता –** इस श्रेणी के अंतर्गत निवेश संबंधी वित्तपोषण, परियोजना लागत का अधिकतम 50% तक किया जाएगा। परियोजना लागत का कम-से-कम 25% वित्त पोषण संस्थापकों द्वारा किया जाएगा और परियोजना लागत का शेष 25% वित्त पोषण या तो बैंक या अन्य किसी वित्तीय संस्थान अथवा संस्थापकों द्वारा किया जाएगा। जहां सरकारी सब्सिडी उपलब्ध है, वहां संस्थापकों को परियोजना लागत का कम से कम 15% अंशदान देना होगा।
7.	**निवेश के माध्यम से प्रत्याशित लाभ (रिटर्न)**	क. इक्विटी लिखत-10% प्रतिवर्ष। ख. ऋण/परिवर्त्य लिखत-8% प्रतिवर्ष (महिलाओं/दिव्यांगजन उद्यमियों के लिए 7.75% प्रतिवर्ष)। [* किसी कंपनी को एससी महिला उद्यमी के लिए कंपनी में एससी महिला उद्यमी की कम से कम 51% भागीदारी होनी चाहिए और उसे कंपनी का प्रबंध निदेशक होना चाहिए; ** दिव्यांग उद्यमी के मामले में, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्यांग के मानदंड को पूरा करने वालों के लिए जारी मार्ग-निर्देशों का पालन किया जाएगा।]	क. इक्विटी निवेश में कई बैंक/नीतिगत निवेशों/ आईपीओ द्वारा एग्जिट के समय लाभ 8% प्रतिवर्ष अथवा मूल्यांकन, जो भी अधिक हो, के अनुसार होगा। ख. ऋण/परिवर्त्य लिखत-8% प्रतिवर्ष (महिलाओं/दिव्यांगजन उद्यमियों के लिए 7.75% प्रतिवर्ष)। [* किसी कंपनी को एससी महिला उद्यमी के लिए कंपनी में एससी महिला उद्यमी की कम से कम 51% भागीदारी होनी चाहिए और उसे कंपनी का प्रबंध निदेशक होना चाहिए; ** दिव्यांग उद्यमी के मामले में, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्यांग के मानदंड को पूरा करने वालों के लिए जारी मार्ग-निर्देशों का पालन किया जाएगा।]

8.	**एग्जिट पद्धति**	स्टॉक एक्सचेंज अथवा किसी अन्य एग्जिट प्रोसेस में सूचीबद्ध संवर्द्धकों/कंपनियों, नीतिगत निवेशों द्वारा प्रचालनों, बाइबैक/शोधन में से भुगतानों के माध्यम से एग्जिट करना।	• स्टॉक एक्सचेंज अथवा किसी अन्य एग्जिट प्रोसेस में सूचीबद्ध संवर्द्धकों/ कंपनियों, नीतिगत निवेशों द्वारा प्रचालनों, बाइबैक/शोधन में से भुगतानों के माध्यम से एग्जिट करना। • कंपनी को वित्तीय सहायता की प्रकृति और उसके कार्य निष्पादन के आधार पर मामला दर मामला आधार पर एग्जिट पद्धति का निर्धारण किया जाएगा।
9.	**प्रतिभूति**	निवेश के दौरान निम्नलिखित प्रतिभूतियों की परिकल्पना की जाए:- क. प्रतिभूति के लिए इस स्कीम के तहत वित्तपोषित/सहायता प्राप्त परियोजना की परिसंपत्तियों को प्रभारित किया जाएगा। परियोजना परिसम्पत्तियों में भूमि, भवन, संयत्र और मशीनरी तथा लाइसंस/पेटेन्ट पर अधिकार शामिल होगा। ख. 5 करोड़ रूपए से अधिक की सहायता के लिए आवेदन करने वाली कंपनियों के मामले में बैंकों/वित्तीय संस्थानों के पास पड़ी परिसंपतियों पर समरूप प्रभार। ग. यदि प्रथम प्रभार बैंक/वित्तीय संस्थानों द्वारा धारित है तो परिसंपतियों पर द्वितीय प्रभार निवेश में से सृजित किया जाएगा। घ. परिसंपतियों पर प्रभार के अतिरिक्त, पश्च दिनांकित चैक और प्रोनोट लिए	निवेश के दौरान निम्नलिखित प्रतिभूतियों की परिकल्पना की जाए:- क. प्रतिभूति के लिए इस स्कीम के तहत वित्तपोषित/सहायता प्राप्त परियोजना की परिसंपत्तियों को प्रभारित किया जाएगा। परियोजना परिसम्पत्तियों में भूमि, भवन, संयत्र और मशीनरी तथा लाइसंस/पेटेन्ट पर अधिकार शामिल होगा। ख. मामला दर मामला आधार पर बैंकों/वित्तीय संस्थान से ऋण के लिए आवेदन करने वाली कंपनियों के मामले में बैंकों/वित्तीय संस्थानों के साथ समरूप प्रभार। ग. यदि प्रथम प्रभार बैंक/वित्तीय संस्थानों द्वारा धारित है तो परिसंपतियों पर द्वितीय प्रभार निवेश में से सृजित किया जाएगा। घ. संस्थापकों द्वारा धारित शेयरों को गिरवी रखना और कम से कम 26 प्रतिशत भागीदारी बनाना और 51 प्रतिशत तक जारी एवं प्रदत्त पूंजी ली जाएगी। तथापि, गिरवी रखे गए शेयरों की प्रतिशतता मामला दर मामला आधार पर निर्धारित की जाएगी। ङ. परिसंपतियों पर प्रभार के अतिरिक्त, पश्च दिनांकित चैक (पीडीसी) /इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ईसीएस)

		जाएंगे। ङ. बायबैक करार सहित संस्थापकों की व्यक्तिगत गारंटियों की प्रविष्टि की जाएगी। च. संस्थापकों द्वारा धारित शेयरों को गिरवी रखना और कम से कम 26 प्रतिशत भागीदारी बनाना और 51 प्रतिशत तक जारी एवं प्रदत्त पूंजी ली जाएगी। तथापि, गिरवी रखे गए शेयरों की प्रतिशतता मामला दर मामला आधार पर निर्धारित की जाएगी। छ. यदि कोई बंधक उपलब्ध नहीं है तो उधार लेने वाला व्यक्ति सम्पार्श्विक और कारपोरेट गारंटियों की व्यवस्था परिवार/मित्रों/सहयोगियों/ समूह कंपनियों के माध्यम से कर सकता है।	और प्रोनोट लिए जाएंगे। च. बायबैक करार सहित संस्थापकों की व्यक्तिगत गारंटियों की प्रविष्टि की जाएगी। छ. यदि कोई बंधक उपलब्ध नहीं है तो उधार लेने वाला व्यक्ति सम्पार्श्विक और कारपोरेट गारंटियों की व्यवस्था करेगा।

2. **निधि की सांकेतिक विशेषताओं में बदलाव** [भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एसईबीआई) के अनुमोदन के बशर्ते] :-

विवरण	**वर्तमान**		**संशोधन** (सेबी विनियमों के अनुसार आईएफसीआई उद्यम पूंजी निधि लि. की आवश्यकता)	
	परिभाषा	**तारीख**	**परिभाषा**	**प्रभावी तारीख**
अंतिम लेखा बंदी	प्रारंभिक लेखा बंदी की तारीख से 4 वर्ष	15 जनवरी-19	-	31 मार्च-25
निवेश अवधि	प्रारंभिक लेखा बंदी की तारीख से 5 वर्ष	15 जनवरी-20	-	31 मार्च-26
निधि की शर्तें	अंतिम लेखा बंदी की तारीख से 10 वर्ष तक, जिसे भारत सरकार के अनुमोदन से और 2 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है।	30 सितम्बर-29; 30 सितम्बर-31 तक विस्तार किया जा सकता है।	बंदी की तारीख से 14 वर्ष तक, जिसे भारत सरकार के अनुमोदन से और दो वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है।	31 मार्च-39; 31 मार्च-41 तक विस्तार किया जा सकता है।
ट्रस्ट की अवधि	वीसीएफ-बीसी स्कीम की अवधि के समान	30 सितम्बर-34	ट्रस्ट के अधीन स्कीमों को बंद किए जाने के पश्चात् 2 वर्ष	31 मार्च-43
निधियों का उपयोग	-	-	संस्वीकृत/प्रतिबद्ध निधियों और व्यय को निधियों का उपयोग माना जाएगा।	-

3. वर्तमान मार्ग-निर्देशों के अन्य निबंधन और शर्तों में कोई बदलाव नहीं होगा।

4. ये मार्ग-निर्देश माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के अनुमोदन से जारी किए जा रहे हैं।

*****